न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 116 / 2025
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रामकुमार पुत्र स्व0 श्री बहादरराम, आयु 72 वर्ष, जाति जाट निवासी 657 बी, सरस्वती नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ....वादी

बनाम

1. रजीराम पुत्र स्व0 श्री बहादरराम, जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. तारावन्ती धर्मपत्नी स्व0 रणजीत पुत्र स्व0 श्री बहादरराम जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रणजीत पुत्र स्व0 श्री बहादरराम जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. मन्जू धर्मपत्नी स्व0 श्री प्रेमकुमार पुत्र स्व0 श्री रणजीत जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. साहिल पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमकुमार पुत्र स्व0 श्री रणजीत जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. प्रिया पुत्री स्वर्गीय श्री प्रेमकुमार पुत्र स्व0 श्री रणजीत जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. सुमन धर्मपत्नी स्व0 श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. ईशा पुत्री स्व0 श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 31 आरबी, फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
9. नेहा पुत्री स्व0 श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुमन धर्मपत्नी स्व0 श्री करणी सिंह निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतुही तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
10. धर्मेश पुत्र स्व0 श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुमन धर्मपत्नी स्व0 श्री करणी सिंह निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतुही तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
11. रोशनी धर्मपत्नी स्व0 श्री दलीप कुमार पुत्र स्व0 श्री बहादरराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतुही तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
12. कमलेश देवी पुत्री स्व0 श्री दलीप कुमार पत्नी श्री हंसराज जाति जाट निवासी चक 24 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
13. कान्ता कुमारी पुत्री स्व0 श्री दलीप कुमार पत्नी श्री धनराज जाति जाट निवासी चक 74 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
14. लिछमा कुमारी पुत्री स्व0 श्री दलीप कुमार जरिये मुखत्यारे आम एवं माता रोशनी पत्नी दलीप कुमार जाति जाट निवासी शिवपुर फतुही तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
15. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
16. पवन कुमार पुत्र सुलतान (माता स्व0 श्रीमती लाली पुत्री स्व0 बहादरराम) जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थन)।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

17. श्रीमती कान्ता पुत्री सुलतान पत्नी श्री राजेश (माता स्व0 श्रीमती लाली पुत्री स्व0 बहादरराम) जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर हाल चक 12 डीबीएल डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

18. श्रीमती शकुन्तला पुत्री सुलतान पत्नी श्री भीमसैन (माता स्व0 श्रीमती लाली पुत्री स्व0 बहादरराम) जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर हाल चक 12 डीबीएल डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

19. तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

......**प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री मोहनलाल पूनियां (वादी)
श्री विक्रम बिश्नोई (प्रतिवादी 1)
श्री ऋषिपाल जोशी (प्रतिवादी 2, 7 ता 15)
श्री अशोक सहारण (प्रतिवादी 3 ता 6, 16 ता 18)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 19)

दिनांकः–03 दिसम्बर, 2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी के दादा श्री लाधुराम पुत्र आदूराम के नाम चक 1 एफ. बड़ा तहसील श्रीगंगानगर में 60–00 बीघा कृषि भूमि थी। स्व0 श्री लाधुराम की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि उनके तीन पुत्रों मल्लूराम, बहादरराम व कालूराम को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई तथा प्रत्येक के नाम 20–20 बीघा भूमि के अलग अलग खाते कायम हुए। वादी के पिता स्व0 श्री बहादरराम पुत्र स्व0 लाधूराम को निम्नलिखित विवरण की भूमि प्राप्त हुईः–

चक नंबर	मुरब्बा नंबर	किला नंबर	तादादी
1 एफ. बड़ा	75	1, 2, 3/1/0.127, 8/1/0.127, 9, 10, 11, 12, 13/1/0.126, 18/1/0.126, 19, 20, 21, 22/0.215, 23/1/0.038	= 3.036 हैक्टे0
	76	5/0.228, 6/0.228, 14, 15/0.228, 16/0.228, 17, 24, 25/0.228	= 1.899 हैक्टे0
		गैरमुमकिन खाला	= 0.126 हैक्टे0
			कुल = 5.061 हैक्टे0

वादी ने श्री कालूराम पुत्र स्व0 श्री लाधूराम द्वारा अपनी पुत्रवधू श्रीमति विजयलक्ष्मी के पक्ष में निष्पादित एक विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2009 को स्वयं को श्री कालूराम का दत्तक पुत्र होने का कथन करते हुए अवैध व शून्य घोषित करने हेतु न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सख्या 1 श्रीगंगानगर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 25/2012 शीर्षक "रामकुमार बनाम कालूराम आदि" प्रस्तुत किया। इस वादपत्र में विवाद्यक संख्या 2 "आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र/दत्तक पुत्र है?" उक्त वादपत्र में दिनांक 23.01.2018 को निर्णय पारित हुआ तथा माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर ने उक्त विवाद्यक संख्या 2 के संबंध में विधि व तथ्यों का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादी को श्री कालूराम का दत्तक पुत्र सिद्ध नहीं मानते हुए यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया तथा वादी का उक्त दीवानी वाद खारिज फरमाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 23.01.2018 संलग्न वादपत्र है। यह निर्णय अंतिमतः हो चुका है तथा सिविल न्यायालय की अवधारणा बाध्यकारी है। उक्त दीवानी वाद संख्या 25/2012 का दिनांक 23.01.2018 को निर्णय होने के उपरांत वादी अपने जैविक पिता की संपति में मुताबिक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विरासतन हकदार था तथा प्रतिवादीगण ने उक्त निर्णय होने के पश्चात वादी के जैविक पिता की उक्त वर्णित 20 बीघा भूमि में 1/5 हिस्सा का हकदार होना स्वीकार करते हुए उक्त वर्णित भूमि में से वादी को मुरब्बा नंबर 75 के किला नंबर 1, 2, 3/1 व 8/1 तथा मुरब्बा नंबर 76 के किला नंबर 5 की कुल 4 बीघा भूमि मुताबिक हक व हिस्सा सुपुर्द कर दी तथा बेशाखी संवत 2019 में वादी ने अपने हक व हिस्सा की उक्त भूमि पर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर

काबिज होकर यह भूमि प्रतिवादी संख्या 6 साहिल को ठेका पर दी। यह भूमि तभी से वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। वादी के पिता स्व0 श्री बहादरराम की मृत्यु उपरांत उक्त दीवानी बाद के विचाराधीन होने के कारण स्व0 श्री बहादरराम का विरासतन इंतकाल तस्दीक नहीं हुआ जो कि अब इंतकाल सं0 1075 दिनांक 29.07.2025 को दर्ज होकर जमाबंदी में दिनांक 21.08.2025 को दर्ज हुआ है। इस विरासतन इंतकाल के मुताबिक वादी का कुल 20 बीघा भूमि में 1/5 हिस्सा दर्ज हो चुका है तथा इस प्रकार इस संयुक्त खाता में वादी का अविभाजित 1/5 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि इंतकाल संख्या 1075 दिनांक 29.07.2025 व जमाबंदी चक 1 एफ बड़ा खाता सं0 68/50 सम्वत् 2072–2075 संलग्न वादपत्र है। प्रश्नगत कृषि भूमि मुरब्बा नंबर 75 व 76 की कुल 5.061 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता की है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिस्सा अनुसार काबिज काश्तकार है। वादी द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने श्रम व लागत से उपजाऊ योग्य बनाया है। चूंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खाता में है इसलिए कब्जा काश्त, सिंचाई सुविधा व आबयाना तथा रकमराज के संबंध में सदैव विवाद बना रहता है, इसलिए वादी उक्त वर्णित संयुक्त खाता में अपने 1/5 हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रश्नगत भूमि में से वादी के 1/5 हिस्सा अर्थात् 4 बीघा भूमि मुरब्बा नंबर 75 के किला नंबर 1, 2, 3/1 व 8/1 तथा मुरब्बा नंबर 76 के किला नंबर 5 वादी के कब्जा काश्त में है। प्रतिवादीगण कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से वादी को उसके वैध हक व हिस्सा की भूमि से वंचित करने पर तुले हुए है तथा वे इस भूमि में वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहे है। प्रतिवादीगण को यह कतई अधिकार नहीं है कि वे उक्त संयुक्त खाता में वादी के वैध हिस्सा व कब्जा की भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे। इन परिस्थितियों में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वैध रूप से अधिकारी व दावेदार है कि वे वादी के कब्जा काश्त में न तो स्वयं और ना ही अपने मित्र व रिश्तेदारों के सहयोग से मदाखलत बेजा करे। प्रश्नगत् कृषि भूमि मुश्तर्का खाता में है, इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर खाता विभाजन का अनुरोध किया तो वे दिनांक 16.09.2025 को कतई इन्कार हो गये, यही वाद कारण है। वादी ने अपने वादपत्र में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है तथा प्रतिवादी संख्या 19 प्रश्नगत भूमि का भू–धारक है, इस कारण इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादपत्र में वर्णित चक 1 एफ बडा की भूमि तहसील श्रीगंगानगर की है तथा इस भूमि के संबंध में खाता विभाजन व स्थाई व्यादेश के अनुतोष हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावें:– (क) चक 1 एफ. बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 68/50 तादादी 5.061 हैक्टे0 कृषि भूमि में वादी के 1/5 हिस्सा की खाता विभाजन की डिक्री मुताबिक कब्जा काश्त प्रदत्त फरमाई जावे व विकल्प में अच्छी मंदी के लिहाज से खाता विभाजन के प्रस्ताव मंगवाए जाकर अंतिम डिकी प्रदत्त फरमाई जावे। (ख) प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे प्रश्नगत कृषि भूमि चक 1 एफ. बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 68/50 तादादी 5.061 हैक्टे0 में वादी के कब्जा काश्त की भूमि मुरब्बा नंबर 75 के किला नंबर 1, 2, 3/1 व 8/1 तथा मुरब्बा नंबर 76 के किला नंबर 5 में न तो स्वयं और ना ही अपने मित्र व रिश्तेदारों के सहयोग से मदाखलत बेजा करे। (ग) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादिगण से दिलाया जावे। (घ) कि अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो, वादी के पक्ष में प्रदान की जावे।

दिनांक 20.11.2025 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादी की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल पूनियां एंव प्रतिवादी संख्या 1 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई, प्रतिवादी संख्या 2, 7 ता 15 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6, 16 ता 18 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री अशोक सहारण द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित

न्यायिक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

तारावंती पत्नी रणजीत 0.329 है., राकेश कुमार पुत्र रणजीत 0.329 है., मन्जू पत्नी प्रेमकुमार साहिल पुत्र प्रेमकुमार, सिया पुत्री प्रेमकुमार 0.329 है. हर तीन ब.हिस्सा बराबर है., सुमन पत्नी करणी सिंह, धर्मेश पुत्र करणी सिंह, ईशा, नेहा पुत्रीयां करणी सिंह 0.329 है. हर चार ब हि ब जाति जाट निवासीयान शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर

चक का नाम	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 1 एफ बड़ा	68/50	75	1(0.253 है.), 2(0.253 है.), 3/1(0.127 है.)	0.633 है. नहरी
		76	5(0.228 है.), 6(0.228 है.), 14(0.088 है. उतरी हिस्सा), 15(0.079 है. उतरी हिस्सा)	0.623 है. नहरी
		88/41	0.060 है. खाला	0.060 है. खाला
				कुल 1.316 है. {1.256 है. नहरी + 0.060 है. खाला}

पक्षकारान में राजीनामा अनुसार यह भी तय किया गया है कि आज से पूर्व पक्षकारान ने विभिन्न न्यायालयो में जो भी कानूनी कार्यवाही, वाद पत्र आदि दायर किये हुए है उन्हे अपने अपने खर्चा से बिना किसी विलम्ब के वापस लेने के लिए पाबन्द रहेगे तथा उक्त राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए पाबन्द रहेगे जिसमें कोई पक्षकार या किसी पक्षकार का कोई वारिस कोई आपति नहीं करेगा तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने तक उक्त कृषि भूमि को आगे अन्तरण नहीं करेगे।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर तहरीर करवाए गए राजीनामा को तस्दीक किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के नाम दर्ज चक 1 एफ बड़ा के खाता संख्या 68/50 की कृषि भूमि का राजीनामा में वर्णित अनुसार विभाजित कर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

दिनांक 24.11.2025 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 1 एफ बड़ा, पटवार हल्का शिवपुर, भू0. अभि0 नि0 क्षेत्र शिवपुर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 68/50, एवं नामान्तरकरण संख्या 1075 दिनांक 29.01.2025 की प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

आदेश

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 1 एफ बड़ा खाता संख्या–68/50 मु.न. 75 एवं 76 की कुल तादादी 5. 061 सयुक्त खाता की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन कर खातेदार घोषित किया जाता है–

रामकुमार पुत्र श्री बहादरराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर

चक का नाम	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 1 एफ बड़ा	68/50	75	8/1(0.127 है.), 9(0.253 है.), 10(0.253 है.), 11(0.202 है. उत्तरी हिस्सा), 12(0.202 है. उत्तरी हिस्सा), 13/1(0.101 है. उत्तरी पश्चिमी कोना)	1.138 है. नहरी

रजीराम पुत्र श्री बहादरराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर

चक का नाम	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 1 एफ बड़ा	68/50	75	11(0.051 है. दक्षिणी हिस्सा), 12(0.051 है. दक्षिणी हिस्सा), 13/1(0.025 है. दक्षिणी पश्चिमी कोना), 18/1(0.126 है.), 19 (0.253 है.), 20(0.253 है.), 21(0.253 है.), 22(0.215 है), 23/1(0.038 है.)	1.265 है. नहरी
		76	24(0.019 है. दक्षिणी हिस्सा), 25(0.017 है. दक्षिणी हिस्सा)	0.036 है. नहरी
		88/41	0.002 है. खाला	0.002 है. खाला
			कुल 1.303 है. {1.301 है. नहरी +0.002 है. खाला}	

मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री दलीप कुमार, कमलेश देवी, कान्ता कुमारी, लिछमा कुमारी पुत्रीयां स्व. श्री दलीप कुमार, रोशनी पत्नी स्व. श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासीयान शिवपुर फतूही तह. व जिला श्रीगंगानगर हर पांच ब:हिस्सा बराबर बराबर

चक का नाम	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 1 एफ बड़ा	68/50	76	14(0.165 है. दक्षिणी हिस्सा), 15(0.149 है. दक्षिणी हिस्सा), 16(0.228 है.), 17(0.253 है.), 24(0.234 है. उत्तरी हिस्सा), 25(0.211 है. उत्तरी हिस्सा)	1.240 है. नहरी
		88/41	0(0.064 है. खाला)	0.064 है. खाला
			कुल 1.304 है. {1.240 है. नहरी + 0.064 है. खाला}	

तारावंती पत्नी रणजीत 0.329 है., राकेश कुमार पुत्र रणजीत 0.329 है., मन्जू पत्नी प्रेमकुमार साहिल पुत्र प्रेमकुमार, सिया पुत्री प्रेमकुमार 0.329 है. हर तीन ब:हिस्सा बराबर है., सुमन पत्नी करणी सिंह, धर्मेश पुत्र करणी सिंह, ईशा, नेहा पुत्रीयां करणी सिंह 0.329 है. हर चार ब हि ब जाति जाट निवासीयान शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर

चक का नाम	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 1 एफ बड़ा	68/50	75	1(0.253 है.), 2(0.253 है.), 3/1(0.127 है.)	0.633 है. नहरी
		76	5(0.228 है.), 6(0.228 है.), 14(0.088 है. उत्तरी हिस्सा), 15(0.079 है. उत्तरी हिस्सा)	0.623 है. नहरी
		88/41	0.060 है. खाला	0.060 है. खााला
			कुल 1.316 है. {1.256 है. नहरी + 0.060 है. खाला}	

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अतः तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने व किसी प्रकार की राजस्व हानि होती है तो उसकी पूर्ति हेतु नियमानुसार स्टाम्प/पंजीयन शुल्क प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 03.12.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिकी

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 116 / 2025

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रामकुमार पुत्र स्व0 श्री बहादरराम, आयु 72 वर्ष, जाति जाट निवासी 657 बी, सरस्वती नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

..........वादी

बनाम

1. रजीराम पुत्र स्व0 श्री बहादरराम, जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. तारावन्ती धर्मपत्नी स्व0 रणजीत पुत्र स्व0 श्री बहादरराम जाति जाट निवासी चक बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. [illegible]श कुमार पुत्र स्व0 श्री रणजीत पुत्र स्व0 श्री बहादरराम जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. मन्जू धर्मपत्नी स्व0 श्री प्रेमकुमार पुत्र स्व0 श्री रणजीत जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. साहिल पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमकुमार पुत्र स्व0 श्री रणजीत जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. सिया पुत्री स्वर्गीय श्री प्रेमकुमार पुत्र स्व0 श्री रणजीत जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. सुमन धर्मपत्नी स्व0 श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत जाति जाट निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतूही, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. ईशा पुत्री स्व0 श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 31 आरबी, फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
9. नेहा पुत्री स्व0 श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुमन धर्मपत्नी स्व0 श्री करणी सिंह निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतुही तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
10. धर्मेश पुत्र स्व0 श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री रणजीत नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुमन धर्मपत्नी स्व0 श्री करणी सिंह निवासी चक 1 बीकेआर, शिवपुर फतुही तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
11. रोशनी धर्मपत्नी स्व0 श्री दलीप कुमार पुत्र स्व0 श्री बहादरराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतुही तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
12. कमलेश देवी पुत्री स्व0 श्री दलीप कुमार पत्नी श्री हंसराज जाति जाट निवासी चक 24 जीबी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
13. कान्ता कुमारी पुत्री स्व0 श्री दलीप कुमार पत्नी श्री धनराज जाति जाट निवासी चक 74 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
14. लिछमा कुमारी पुत्री स्व0 श्री दलीप कुमार जरिये मुखत्यारे आम एवं माता रोषनी पत्नी दलीप कुमार जाति जाट निवासी शिवपुर फतुही तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
15. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
16. पवन कुमार पुत्र सुलतान (माता स्व0 श्रीमती लाली पुत्री स्व0 बहादरराम) जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थन)।
17. श्रीमती कान्ता पुत्री सुलतान पत्नी श्री राजेश (माता स्व0 श्रीमती लाली पुत्री स्व0

[illegible] कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

बहादरराम) जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर हाल चक 12 डीबीएल डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।

8. श्रीमती शकुन्तला पुत्री सुलतान पत्नी श्री भीमसैन (माता स्व0 श्रीमती लाली पुत्री स्व0 बहादरराम) जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर हाल चक 12 डीबीएल डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।

9. तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

......प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री मोहनलाल पूनियां (वादी)
श्री विक्रम बिश्नोई (प्रतिवादी 1)
श्री ऋषिपाल जोशी (प्रतिवादी 2, 7 ता 15)
श्री अशोक सहारण (प्रतिवादी 3 ता 6, 16 ता 18)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 19)

दिनांकः–03 दिसम्बर, 2025

वादपत्र संख्या 116/2025
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी के अधिवक्ता श्री मोहनलाल पूनियां एंव प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई, प्रतिवादी संख्या 2, 7 ता 15 के अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6, 16 ता 18 के अधिवक्ता श्री अशोक सहारण एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 1 एफ बड़ा खाता संख्या–68/50 मु.न. 75 एवं 76 की कुल तादादी 5.061 सयुक्त खाता की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन कर खातेदार घोषित किया जाता है–

रामकुमार पुत्र श्री बहादरराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर

चक का नाम	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 1 एफ बड़ा	68/50	75	8/1(0.127 है.), 9(0.253 है.), 10(0.253 है.), 11(0.202 है. उतरी हिस्सा), 12(0.202 है. उतरी हिस्सा), 13/1(0.101 है. उतरी पश्चिमी कोना)	1.138 है. नहरी

रजीराम पुत्र श्री बहादरराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर

चक का नाम	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 1 एफ बड़ा	68/50	75	11(0.051 है. दक्षिणी हिस्सा), 12(0.051 है. दक्षिणी हिस्सा), 13/1(0.025 है. दक्षिणी पश्चिमी कोना), 18/1(0.126 है.), 19 (0.253 है.), 20(0.253 है.), 21(0.253 है.), 22(0.215 है), 23/1(0.038 है.)	1.265 है. नहरी
		76	24(0.019 है. दक्षिणी हिस्सा), 25(0.017 है. दक्षिणी हिस्सा)	0.036 है. नहरी
		88/41	0.002 है. खाला	0.002 है. खाला
			कुल 1.303 है. {1.301 है. नहरी +0.002 है. खाला}	

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री दलीप कुमार, कमलेश देवी, कान्ता कुमारी, लिछमा कुमारी पुत्रीयां स्व. श्री दलीप कुमार, रोशनी पत्नी स्व. श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासीयान शिवपुर फतूही तह. व जिला श्रीगंगानगर हर पांच ब:हिस्सा बराबर बराबर

...क का नाम	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
...क 1 एफ ...क ...ड़ा	68/50	76	14(0.165 है. दक्षिणी हिस्सा), 15(0.149 है. दक्षिणी हिस्सा), 16(0.228 है.), 17(0.253 है.), 24(0.234 है. उतरी हिस्सा), 25(0.211 है. उतरी हिस्सा)	1.240 है. नहरी
		88/41	0(0.064 है. खाला)	0.064 है. खाला
			कुल 1.304 है. {1.240 है. नहरी + 0.064 है. खाला}	

तारावंती पत्नी रणजीत **0.329 है.**, राकेश कुमार पुत्र रणजीत **0.329 है.**, मन्जू पत्नी प्रेमकुमार साहिल पुत्र प्रेमकुमार, सिया पुत्री प्रेमकुमार **0.329 है. हर तीन ब:हिस्सा बराबर** सुमन पत्नी करणी सिंह, धर्मेश पुत्र करणी सिंह, ईशा, नेहा पुत्रीयां करणी सिंह **0.329** है. हर चार ब हि ब जाति जाट निवासीयान शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर

चक का नाम	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक ... एफ चक बड़ा	68/50	75	1(0.253 है.), 2(0.253 है.), 3/1(0.127 है.)	0.633 है. नहरी
		76	5(0.228 है.), 6(0.228 है.), 14(0.088 है. उतरी हिस्सा), 15(0.079 है. उतरी हिस्सा)	0.623 है. नहरी
		88/41	0.060 है. खाला	0.060 है. खााला
			कुल 1.316 है. {1.256 है. नहरी + 0.060 है. खाला}	

अत: डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को जारी की गयी।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर